



KOLHAN UNIVERSITY

CHAIBASA, WEST SINGHBHUM

Jharkhand, Pin : 833201

Phone No. 06582-255274

Ref. No: KU/R/.....488...../2020

Date: 08/07/2020

कार्यालय आदेश

झारखण्ड सरकार के आदेश संख्या 174.7 दिनांक 26/06/2020 के आलोक में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को देखते हुए निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि :

1. सभी शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी/ पदाधिकारी अपने आवास में रहकर ही कार्यालय के कार्यों का संपादन करें।
2. सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी अपने-अपने मुख्यालय में बने रहेंगे।
3. महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रोफेसर-इन-चार्ज/ शिक्षक एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुला सकते हैं।
4. विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, शिक्षक, कर्मचारियों और प्रशासनिक/ वित्त अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय कार्यालय बुलाया जा सकता है।
5. सभी शिक्षक एवं घंटी आधारित शिक्षक अपने Online Class का संचालन करते रहेंगे ताकि Lockdown के बाद परीक्षा संचालित की जा सके। छात्रों का course पूरा करना शिक्षकों का दायित्व है।
6. महाविद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्रोफेसर-इन-चार्ज नियमित एवं घंटी आधारित शिक्षकों द्वारा संचालित वर्गों का Report विश्वविद्यालय को समर्पित करेंगे।
7. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से दिनांक 31/07/2020 तक जारी रहेगी।
8. सभी शिक्षक/कर्मचारी/पदाधिकारी सरकार द्वारा (COVID-19) से सुरक्षा हेतु समुचित उपाय स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

कुलपति के आदेशानुसार

ह/-

कुलसचिव


कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

दिनांक: 08/07/2020

ज्ञापांक : KU/R/488/2020

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, तकनीकी कौशल विकास विभाग झारखण्ड, राँची।
2. सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष पी० जी० डिपार्टमेंट, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।
3. सभी प्राचार्य/प्रो०-इन-चार्ज अंगीभूत/संबंधन प्राप्त महाविद्यालयों को सूचनार्थ।
4. सभी पदाधिकारी, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।
5. वित्त पदाधिकारी, कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।
6. कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्त परामर्शी के निजी सहायकों को कुलपति/ प्रतिकुलपति /वित्त परामर्शी के सूचनार्थ।
7. विश्वविद्यालय वेबसाइट।
8. संचिका में।


कुलसचिव 08/07/2020
कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा